R. I. हिमाणा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 82/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/300

प्रार्थी

जबराराम पुत्र सकाराम

अप्रार्थीगण

बाबूसिंह पुत्र सकाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 05.12.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार डांगरा व रमेश कुमार बाजक उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 14.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की भूमि वांके सरहद मौजा चौरा, पटवार हल्का–चौरा, तहसील–सांचौर में नवीन खेत खसरा संख्या 1179 रकबा 1.56 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खेत खसरा नंबर 184/1778 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम कुल रकबा 1.62 हैक्टैयर की आयी हुई है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी का मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के काफी समय पूर्व आपसी बंटवाड़ा हो चुका है तथा प्रार्थी अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि में काश्त काबिज है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि में खेतीबाड़ी करता आ रहा है तथा प्रार्थी सदैव अपने हक हिस्से की भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा करता आ रहा है एवं प्रार्थी के नाम से गिरदावरी होती चली आ रही है। प्रार्थी ने अपने बंट की भूमि में काफी खाद मिट्टी डालकर व समतल कर भूमि को उपजाउ व उपयोगी बनाया है तथा वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी मय परिवार निवास करता आ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को अभी दो रोज पूर्व वादग्रस्त आराजी का तहसील कार्यालय सांचौर में चलकर सहमति का बंटवाड़ा करने का निवेदन किया मगर अप्रार्थी संख्या 1 ने बंटवाड़ा करने से साफ इन्कार कर दिया एवं प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त आराजी को मैं बिना भू–विभाजन कराये किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर दूंगा तथा तूझे तेरे हक हिस्से की भूमि से जबरन डण्डे के बल बाहर खदेड़ दूंगा। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने का कानूनी अधिकारी होने से दावा बाबत् बंटवाड़ा का माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि वे वांके सरहद मौजा

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

चौरा पटवार हल्का चौरा में स्थित आराजी नवीन खेत खसरा नंबर 1179 रकबा 1.56 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 184/1778 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि में स्थित प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क, बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा चौरा, पटवार हल्का–चौरा में स्थित आराजी नवीन खेत खसरा नंबर 1179 रकबा 1.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 184/1778 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **14.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर